

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी  
(शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी/आडेल)  
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 109/2019

प्रार्थनी :-

1. चैनीदेवी पत्नी प्रतापाराम  
जाति विश्‍नोई निवासी जूनाखेडा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर  
बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. हेमदान बल्द धनदान वगैरा ( 5 )

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

—: आदेश :-

दिनांक :- 17.11.2021

प्रार्थनी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गडी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता हाजिर हुए तथा प्रार्थनी का प्रार्थना पत्र जबाव पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थनी के विभाजन के खिलाफ आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र विचाराधीन है, जिससे प्रार्थनी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 केम्प डेडावास जागीर पेश हुई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया विप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी वाद सुनवाई खारिज हो चुका है। वादीनी की विवादित आराजी के सम्बन्ध में मजमेआम जानकारी ली गई। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2069-2072 सरहद मौजा डेडावास चारणान के खेत खसरा नम्बर 18/1 रकबा 16-18 बीघा, 16/1 रकबा 4-03 बीघा का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थनी का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थनी की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से वक्त प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ोसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थनी अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थनी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों को मौके पर उपस्थित रहने की सूचना विधिवत नोटिस देकर तथा मौके पर उपस्थित करते हुए, दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि सरहद मौजा डेडावास चारणान के खेत खसरा नम्बर 18/1 रकबा 16-18 बीघा, 16/1 रकबा 4-03 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ़्तर हो।

आदेश आज दिनांक 17/11/21 को प्रशासन गांवों के अभियान केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय डेडावास जागीर में मजमेआम खुले न्यायालय सुनाया गया।

( प्रमोद कुमार )

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी  
(शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी/आडेल)

दिनांक : 23/11/21

क्रमांक: वाद/2021/811

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

—दे.स.व.—

—दे.स.व. कोरा—

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु  
नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी

राजस्व आवेदन सं. 109/19

निर्णय दिनांक :- 17/11/21

--: आदेश :-

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम दे.स.व. - दे.स.व. के खेत खसरा  
नम्बर 18/1 रकबा 16-18 बीघा खसरा नम्बर 15/1 रकबा 4-03 बीघा खसरा  
नम्बर — रकबा — खसरा नम्बर — रकबा — एवं  
खसरा नम्बर — रकबा — की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित  
करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को कमीशनर नियुक्त  
किया जाता है। कमीशनर फीश रुपये 500/- प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर  
उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद  
प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(प्रमोद कुमार)

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी  
शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी/आडेल

क्रमांक: वाद/2021/812-814

दिनांक : 23/11/21

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुड़ामालानी
2. थानाधिकारी गुड़ामालानी
3. हल्का पटवारी इ.त.न.प.र. को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी  
कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी दे.स.व.
5. विप्रार्थी दे.स.व. कोरा

(प्रमोद कुमार)

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी  
शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी/आडेल